# न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, उनियारा, जिला टोंक

**पीठासीन अधिकारी** : **दीपक कुमार सोनी, R.J.S.**
**(District Judge Cadre)**

**फौजदारी निगरानी संख्या** : 09/2026
**C.I.S. No.** : 09/2026
**CNR No.** : RJTK240002252026

**लोकेश कुमार मीना** पुत्र श्री मोतीलाल निवासी ग्राम खेडली बालाजी थाना अलीगढ जिला टोंक (राजस्थान)

–– निगरानीकार

**बनाम**

**रामहेत मीना** पुत्र श्री शंकरलाल निवासी खेडली थाना अलीगढ जिला टोंक (राजस्थान)

––गैर निगरानीकार

**निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 09.04.2026 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा, जिला टोंक, उनवानी लोकेश कुमार बनाम रामहेत, परिवाद संख्या 373/2023, परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट**

---

**उपस्थितः–**

1. श्री कन्हैयालाल ठाडा, अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री बरकत उल्लाह खान, अधिवक्ता गैर निगरानीकार की ओर से

**आदेश** **दिनांक : 04.06.2026**

1. निगरानीकर्ता के द्वारा यह फौजदारी निगरानी अंतर्गत धारा 397 सीआरपीसी/438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा जिला टोंक द्वारा उनवानी परिवाद लोकेश कुमार बनाम रामहेत, परिवाद संख्या 373/2023, परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में पारित आदेश दिनांक 09.04.2026 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है–

*" परिवादी व अभियुक्त अनुपस्थित। हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई जो आज के लिए स्वीकार की गई। परिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य हेतु अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य परिवादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अब और अवसर दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। साक्ष्य परिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 20.04.2026 को पेश हो। "*

**2.** उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस आधार पर पेश की गयी है कि दिनांक 09.04.2026 को रिवीजनर की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उसके दांत में अत्यधिक दर्द होने के कारण रिवीजनर दंत व मुख रोग विशेषज्ञ डॉ. मीनाक्षी वर्मा, टोंक इलाज करवाने चला गया था जिसकी सूचना भी रिवीजनर द्वारा अपने अधिवक्ता को दे दी थी, जिन्होंने भी विचारण न्यायालय के समक्ष उपरोक्त कारण बताते हुए साक्ष्य हेतु अवसर चाहा था, परंतु विचारण न्याायलय ने इस पर भी गोर नहीं किया तथा परिवादी/ रिवीजनर की साक्ष्य बंद कर पत्रावली बहस अंतिम में नियत कर दी गई। यदि रिवीजनर की साक्ष्य नहीं ली गई तो रिवीजनर को काफी आर्थिक नुकसान होने की पूरी–पूरी संभावना है।

**3.** उभय पक्ष को सुना गया। प्रकरण से संबंधित आदेशिका का अवलोकन करने पर यह दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद दिनांक 22.08.2023 से साक्ष्य परिवादी में लंबित था। दिनांक 09.04.2026 को परिवादी सक्ष्य हेतु अनेक अवसर दिये जाने के उपरांत भी परिवादी साक्ष्य पेश नहीं किये जाने की स्थिति में परिवादी की साक्ष्य बंद की गई है, अर्थात् परिवादी साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये है। किंतु यह भी अवलोकनीय है कि पत्रावली दिनांक 18.08.2025 तथा 29.01.2026 को मध्यस्थता के तत्व विद्यमान होने पर मध्यस्थता केन्द्र में रेफर की गई थी तथा परिवादी द्वारा दिनांक 09.04.2026 को अचानक तबीयत खराब होने तथा दंत चिकित्सक से टोंक ईलाज कराना बताया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवादी को 5,000 रूपये की Cost पर एक अंतिम अवसर दिया जाना न्यायोचित है जिस पर परिवादी अपनी समस्त साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दें।

**4.** तदनुसार निगरानीकार **लोकेश कुमार मीना** की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध गैर निगरानीकार रामहेत 5,000 रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) की Cost प**र स्वीकार** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनवानी परिवाद लोकेश कुमार बनाम रामहेत, परिवाद संख्या 373/2023, परिवाद अंतर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2026 को **अपास्त** किया जाकर परिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाता है जिस पर परिवादी आवश्यक रूप से अपनी समस्त साक्ष्य पेश किया जाना सुनिश्चित करेगा। Cost राशि की अदायगी उक्त आदेश के प्रभावी होने के लिए पूर्ववर्ती शर्त होगी। आदेश की प्रति अविलंब संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

**(दीपक कुमार सोनी)**
**अपर सेशन न्यायाधीश,**
**उनियारा, जिला टोंक**

**5.** आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 04.06.2026 को हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

**(दीपक कुमार सोनी)**
**अपर सेशन न्यायाधीश,**
**उनियारा, जिला टोंक**